समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला स्थापना शाखा)

दिनांक- 28.07.2016 को समाहर्त्ता, दरभंगा की अध्यक्षता में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सम्पन्न जिला चयन समिति के बैठक की कार्यवाहीः-

उपथितिः- पंजी के अनुसार

दिनांकः- 28.07.2016 को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आयोजित चयन समिति की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांकः- 2804 दिनांकः- 29.03.2010 एवं ज्ञापांकः- 10000 दिनांकः- 10.07.2015 के आलोक में निम्नलिखित मामलों पर विचार किया गयाः-

क्र0 सं0	कर्मी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	उम्र	लिये गये निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सीताराम मंडल, पंचायत सचिव	प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय,, बहादुरपुर	02/07/1956	31/07/2016	60 वर्ष	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर के पत्रांक–937 दिनांक–25.05.2016 द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित। श्री सीताराम मंडल के द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला /कोई विभागीय कार्यवाही/ कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नही है। उनके द्वारा पाँच वर्षो का वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति तथा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत स्वास्थय प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। अतएव सर्वसम्मति से श्री सीताराम मंडल को संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया।
2	श्री माया शंकर प्रसाद, लिपिक	जिला पंचायतीराज, दरभंगा	15/07/1956	31/07/2016	60 वर्ष	जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–1531/जि0प0 दिनांक–14.07.2016 द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु अनुसंशित। श्री माया शंकर प्रसाद के द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला /कोई विभागीय कार्यवाही/ कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नही है। उनके द्वारा पाँच वर्षो का वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति तथा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत स्वास्थय प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। अतएव सर्वसम्मति से श्री माया शंकर प्रसाद को संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया।
3	श्री अरूण कुमार मिश्र, राजस्व कर्मचारी	अचंल कार्यालय, केवटी	22/07/1956	31/07/2016	60 वर्ष	अचंल अधिकारी, केवटी के पत्रांक–1081 दिनांक–16.07.2016 संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित। श्री अरूण कुमार मिश्र के द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला /कोई विभागीय कार्यवाही/ कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नही है। उनके द्वारा पाँच वर्षो का वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति तथा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत स्वास्थय प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। अतएव सर्वसम्मति से श्री अरूण कुमार मिश्र को संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया।

क्रम सं0	कर्मी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	उम्र	लिये गये निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
4	ट्रीजा आंजिलों, पिरचारिका बहन–सह–प्रभारी मातृका	डी०एम०सी०एच०, लहेरियासराय, दरभंगा	04/07/1956	31/07/2016	60 वर्ष	अधीक्षक दरभंगा चिकित्सा महाविघालय, अस्पताल लहेरियासराय के ज्ञापांक–2163 दिनांक–24.05.2016 द्वारा अग्रसारित किया गया है। अधीक्षक दरभंगा चिकित्सा महाविघालय, अस्पताल लहेरियासराय द्वारा कार्य प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। इनके द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र विगत 05 वर्षों का विशेष गोपनीय अभ्युक्ति संलग्न किया गया है। अतएव सर्वसम्मति से श्रीमती ट्रीजा आंजिलों को संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया।
5	श्री दिनेश मिश्र, पंचायत सचिव	प्रखंड कार्यालय, गौड़ाबौराम	02/07/1956	31/07/2016	60 वर्ष	प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौड़ाबौराम के पत्रांक–729 दिनांक–09.07.2016 द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित। इनके द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु शपथ पत्र दिया गया है। विहित प्रपत्र में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें गोपनीय अभ्युक्ति अंकित है। सेवा पुस्त की छायाप्रति संलग्न है। अतएव सर्वसम्मति से श्री दिनेश मिश्र को संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त चयनित कर्मियो को विभागीय संकल्प के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ सर्वसम्मति से सेवानिवृति के उपरांत संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्णय लिया गयाः–

शर्तें

01. सेवानिवृति के उपरांत संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों का चयन प्रथम दो वर्षों के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष, आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरांत की जा सकेगी।
02. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होनेवाले अन्तिम मूल वेतन एवम् उक्त तिथि को देय महँगाई भत्ता के योग में से मूल पेंशन एवम् देय महँगाई भत्ता के योग की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही देय होगी।
03. नियोजित कर्मियों की कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर उन्हें हटाया जा सकेगा।
04. सरकार द्वारा उपर्युक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के साथ ही उपर्युक्त नियोजन स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

नियुक्ति पदाधिकारी उपरोक्त चयन के अनुसार अपने स्तर से नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे तथा नियोजित कर्मी को आदेश देगें की वे पत्र प्राप्ति के साथ ही अपना योगदान पदस्थापन स्थान पर देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और नियोजन स्वतः रद्द माने जायेंगे।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी दरभंगा।	वरीय उप समाहर्त्ता जिला विकास शाखा, दरभंगा।	स्थापना उप समाहर्त्ता दरभंगा	अधीक्षक, डी0 एम0 सी0 एच0 लहेरियासराय, दरभंगा।	उप विकास आयुक्त–सह–प्रभारी अपर समाहर्त्ता दरभंगा	समाहर्त्ता दरभंगा

ज्ञापांक– 02–63 / 2016– 1030 स्था0, लहेरियासराय, दिनांक– 28 वी, जुलाई 2016

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविघालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.7.16

समाहर्त्ता,
दरभंगा।